भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4924
दिनांक 23.07.2019

बाढ़ अनुकूल बीज

4924. डॉ. उमेश जी. जाधव:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में फसलों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण के अनुकूल बाढ़ सहिष्णु बीज विकसित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पहले से ही कहीं भी बीज का उपयोग किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में काम करना शुरू करेगी; और

(ङ) देश में सभी बाढ़-प्रवण राज्यों में इसका विस्तार करने की योजना की संभावित समयावधि क्या है?

उत्तर

कृषि और किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख): जी, हां। विगत पांच वर्षों (मई 2014 से 2018) के दौरान, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअप) ने अपने संस्थानों, अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के माध्यम से विभिन्न फील्ड फसलों की 35 किस्में (चावल-21, मक्का-2, जूट-3, गन्ना-8 एवं राइस बीन-1) जारी की हैं, जो बाढ़, जलमग्नता/जलभराव/गहरे जल के लिए सहनशील हैं **(अनुबंध)**।

(ग) जी, हां। भाकृअप ने कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसी एवं एफडब्ल्यू) से प्राप्त मांग-पत्र के अनुसार विभिन्न फसलों (मुख्यतया चावल) की बाढ़, जलमग्नता/जलभराव

के लिए सहनशील किस्मों के 772 क्विं. प्रजनक बीजों का उत्पादन किया है। किसानों द्वारा वाणिज्यिक खेती के लिए प्रजनक बीजों को आगे आधारी, प्रमाणित एवं सत्यतापूर्वक लेबल लगाए गए बीजों में परिवर्तित किया जाता है। वर्ष 2016-2017 से खरीफ-2019 तक; देश में प्रतिबल सहनशील (बाढ़, सूखा एवं लवण) धान की किस्मों के 73.20 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन किया है। इसके अलावा, प्रतिबल सहनशील गन्ना किस्मों की 3600 क्विं. रोपण सामग्री का उत्पादन भी किया गया।

राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम लिमिटेड, राज्य कृषि विभाग, भाकृअप संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालय, सहकारी समितियां एवं निजी बीज कंपनियां पहले से ही इन बीजों के उत्पादन एवं विपणन का कार्य कर रहे है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) भारत सरकार, प्रत्येक बुआई मौसम से पहले क्षेत्रीय बीज समीक्षा बैठकों की क्रियाविधि तथा प्रत्येक राज्य के लिए सीड रोलिंग प्लान के विकास के माध्यम से बीज की आवश्यकता एवं उपलब्धता के समन्वयन द्वारा राज्य सरकारों के प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देती है। इसके अलावा बाढ़ प्रवण राज्यों सहित दबाव सहिष्णु किस्मों के बीजों का उत्पादन करने के लिए मांग/आवश्यकता के अनुसार आकस्मिक योजना भी बनाई जाती हैं।

****

अनुबंध

{(लोकसभा के दिनांक 23.07.2019 के अतारांकित प्रश्न सं0 4924 का भाग (क एवं ख)}

मई, 2014-2018 के दौरान जारी की गई, बाढ़/जलमग्नता/जल-भराव/गहरे जल के लिए सहनशील प्रक्षेत्र फसल किस्में

फसल	किस्में
चावल (21)	सीआर धान 505; सांबा सब-1 (आईईटी 21248); तन्मयी (ओआर 2339-8) (आईईटी 20262); सीआर 1009 सब-1; सीआर धान 508 (आईईटी 23601); भीमा (धीरा) (एमटीयू 1140); राजदीप सीएन 1039-9 (आईईटी 17713) (सीएनआर 4); सीआर धान 506 (आईईटी 23053); सीआर धान 408 (आईईटी 20265) चक्काखी; सीआरधान 507 (आईईटी 22986); सीआर धान 409 (आईईटी 23110); सीओ 43 सब-1 (आईईटी 25676); डीआरआर धान 50 (आईईटी 25671); बहादुर सब-1; रंजीत सब-1; आशुतोष (ओआर 2331-14) (आईईटी 21341); त्रिपुरा जाला-1; सीआर धान 801 (आईईटी 25667); (आईआर 96322-34-223-बी-1-1-1-सीआर3955-2); सीआर धान 510 (आईईटी 23895) (सीआर2593-1-1-1-1); केशीरा (आईईटी 24495) (एमटीयू 1172); सीआर धान 802 (सुभास) (आईईटी 25673) (सीआर3925-22-7)
मक्का (2)	जवाहर मक्का 218; पूसा जवाहर संकर मक्का-1
जूट (3)	जेआरओ 2407 सम्पाती (टोस्सा जूट); ईशानी (जेआरसी-9057) सफेद जूट; एनसीजे-28-10 एएयूसीजे-2 (ख्याति)
राइस बीन (1)	बिधान राइस बीन-3 (केआरबी-19)
गन्ना (8)	संकेश्वर 814 (सीओ एसएनके 05104); संकेश्वर 049 (सीओ एसएनके 05103); गुजरात गन्ना 5 (सीओएन 05071); गुजरात गन्ना 7 (सीओएन 04131); बुद्धि 2003 ए 255 (सीओए 08323); सीओएलके 09204 (इक्षु-3); सीओए 11321 (श्री मुखी); सीओएलके 12207 (इक्षु-6)

****